

O/o CE (EITC)

Receipt No. 1168

Date 25 MAY 2019

DGM (IT) / SE (O)

EE... Web क्रमांक 01-02/अपील प्रकरण -03/2019/1467

Section ... श्रीमती साधना भगत

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री व्ही.के.साय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. -0771-2574925

रायपुर, दिनांक 24 MAY 2019

अपीलार्थी

कनिष्ठ अभियंता

क्वा. न.- NC-29

CSEB COLONY

KORBA EAST (C.G.)

PIN NO. - 495677

विरुद्ध

श्रीमती सरोज तिवारी

जनसूचना अधिकारी

सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)

छ.ग.स्टे.पाँ.डिस्ट्री.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

--: आदेश :-

(दिनांक 23.05.2019 को पारित)

अपीलार्थी श्रीमती साधना भगत की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.), छ0ग0स्टे0पाँ0डि0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 03/2019 दिनांक 15.04.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती साधना भगत द्वारा आवेदन दिनांकित 20.02.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी-

1. आरोप-पत्र जारी (issue) करने के पश्चात् विभागीय जाँच पूर्ण करने की समय - अवधि कितनी होती है।
2. क्या सी.एस.पी.डी.सी.एल., छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का पालन करती है?

किन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराये जाने का लेख करते हुए असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2019 को प्रथम अपील आवेदन (पंजीयन शुल्क सहित) प्रस्तुत किया है एवं वांछित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया है।

(3) उक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 25.04.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 06.05.2019 को सायं 3.30 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्रीमती साधना भगत को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर इस आशय के साथ सूचित किया गया कि यदि वे चाहें तो स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण

तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

अपीलार्थी को प्रकरण पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई पुनः दिनांक 20.05.2019 को सायं 3.30 बजे निर्धारित की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस पत्र क्रमांक 1315 दिनांक 08.05.2019 के माध्यम से दी गई, साथ ही अपीलार्थी को दिनांक 09.05.2019 को दूरभाष के माध्यम से भी अपील की सुनवाई तिथि के संबंध में अवगत कराया गया। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव गुण दोष के आधार पर प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदिका द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 688 दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "कंडिका क्रमांक 01 में वांछित जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का अध्ययन किया जा सकता है एवं कंडिका क्रमांक 02 से संबंधित जानकारी 03 छायापृष्ठों में उपलब्ध है। अतः निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।"

अतएव आवेदिका को निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार जानकारी प्राप्त किया जाना था तथा प्राप्त की गई जानकारी से असंतुष्ट होने की स्थिति में ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किया जाना उचित होता किन्तु आवेदिका द्वारा उक्त प्रक्रिया का परिपालन किये बिना ही प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है, जो अधिनियम में निहित प्रावधानों के विपरित है।

(5) इसी अनुक्रम में कृपया विदित हो कि अति० मुख्य अभियंता, कार्या. कार्यपालक निदेशक (बि.क्षे.), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 860 दिनांक 13.05.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "श्रीमती साधना भगत, कनिष्ठ अभियंता, द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी कार्यपालन यंत्री (संचा./संघा.), संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., कोरबा से दिनांक 05.04.2019 को प्राप्त हो गई है।"

उपरोक्त परिस्थितिवश वर्तमान स्थिति में आवेदिका द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।

(6) निर्धारित सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर उपस्थित पक्ष यथा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(7) अतएव इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 04/टीप में निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार उचित प्रतीत है, जिस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है साथ ही कंडिका 05/टीप में दर्शित तथ्यों के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी (पत्र क्रमांक 688 दिनांक 02.03.2019) प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है, अतएव अपीलार्थी श्रीमती साधना भगत यदि चाहें तो निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

परिणामतः प्रकरण में आए तथ्यों के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं.क. 03/2019 दिनांक 15.04.2019) अस्वीकार कर एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(व्ही.के.साय)

अपीलीय अधिकारी

सह महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574925

क्रमांक 01-02/अपील प्रकरण -03/2019/ 1468

रायपुर, दिनांक 24 MAY 2019

प्रतिलिपि:-

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती साधना भगत, कनिष्ठ अभियंता, क्वा. न.- NC-29, CSEB COLONY, KORBA EAST (C.G.), PIN NO. -495677 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर -उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता:- सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन - 492002
दूरभाष- 0771-2512106, 2512108

(व्ही.के.साय)

अपीलीय अधिकारी

सह महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर

दूरभाष क्रमांक -0771-2574925